रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246815
CG-DL-E-26062023-246815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2653] नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945
No. 2653] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून , 2023

का.आ. 2773(अ).— जबकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और जबकि, श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) असम में चाय बागान कामगारों के लिए कुटुम्ब पेंशन सह जीवन बीमा योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान कर रहा है जो असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित है;

और जबकि, इस स्कीम के अंतर्गत, स्कीम के पैरा 5 के खण्ड (ग) में यथा वर्णित कुटुम्ब पेंशन के फायदों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदों कहा गया है), स्कीम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए कर्मचारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को दिए जाते हैं;

और जबकि, स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है।

अत:, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (क) इस स्कीम के अधीन फायदों को लेने के लिए इच्छुक व्यष्टिक से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए;

(ख) इस स्कीम के अधीन फायदे लेने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, उसे स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकता है;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों से यह अपेक्षित है कि वह उन हिताधिकारियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिन्होंने आधार के लिए अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है और यदि किसी संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है तब कार्यान्वयन अभिकरण यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परन्तु यह उपबंध है कि व्यक्ति को आधार दिए जाने तक इस स्कीम के अधीन फायदे ऐसे व्यष्टिकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन दिए जाएंगे, अर्थात्-

(क) यदि वह नामांकित हो गया है तो उसके आधार नामांकन पहचान की पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक हो, अर्थात्:

i. फोटो सहित बैंक की पासबुक या डाकघर की पासबुक; या

ii. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

iii. पासपोर्ट; या

iv. राशन कार्ड; या

v. मतदाता फोटो पहचान पत्र; या

vi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

vii. किसान फोटो पासबुक; या

viii. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

ix. राजपत्रित अधिकारी या कार्यालयी पत्रशीर्ष पर तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या

x. मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों को इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विनिर्दिष्टतः अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

2. इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सहज रूप से फायदे प्रदान करने के लिए कार्यान्यवन अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिससे स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक गुणवत्ता या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन नहीं हो पाता है, वहां पर निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनायी जाएगी, जिससे कार्यान्वयन अभिकरण आईरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए उपाबंधों को करेगी जिससे निर्बाध रीति से फायदे प्राप्त हो सके;

(ख) अंगुलीछाप या आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक सफल न होने के मामले में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय विधिमान्यता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक्स या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम आधारित आधार वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन फायदों को भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन किसी भी वास्तविक हिताधिकारी को उसके देय फायदों से वंचित न किया जाए, इसके लिए कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगी।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम राज्य में प्रवृत्त होगी।

[फ.सं. आर-11025/3/2015-एसएस-।।(पार्ट)]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2023

S.O. 2773(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) is providing financial assistance under the Central Sector Scheme of Family Pension cum Life Assurance Scheme for the tea plantation workers in Assam (hereinafter referred to as the scheme) which is implemented by the Assam Tea Employees' Provident Fund Organisation (hereinafter referred to as the Implementing Agency).

And whereas, under the Scheme, family pension benefits (hereinafter together referred to as the benefits) as detailed in clause (c) of paragraph 5 of the Scheme are given to a member of the family of the employee covered under the Scheme, who dies in service (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess an Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment

facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification Slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter identity Card; or

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kishan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Ministry:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries conveniently under the Scheme, the Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter, and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https:dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette, in the State of Assam.

[F. No. R-11025/3/2015-SS-II(Pt)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.06.26 21:26:16 +05'30'